


विहित – प्रपत्र
झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड, रांची

(उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अंतर्गत राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों एवं डायट केन्द्र में सत्र 2016-18 अंतर्गत नामांकन हेतु)
आवेदन पत्र

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती/सुश्री.....पिता/पति श्री..... का नाम राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय /डायट..... में नामांकन के लिए अनुशंसित किया जाता है। इनका नाम मेधा सूची के क्रमांक..... पर अंकित है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग
दिनांक—

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :
- (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में)
3. जन्मतिथि (माध्यमिक परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)
(क) अंको में (ख) अक्षरों में
4. दिनांक— 01.07.2017
को कुल आयु : वर्ष माह..... दिन.....
5. विषय का नाम :(इंटर स्तर या समकक्ष योग्यता के परीक्षा में अधिक अंक (राष्ट्रभाषा छोड़कर) पाने वाले विषय ही विषय का नाम होगा)
6. कोटि का नाम :(पुरुष/महिला- सामान्य/पिछड़ी जाति I/II/अनुसूचित जाति/जनजाति)
7. **स्थायी पता:**
ग्राम/मोहल्ला : पो०..... थाना.....
जिला राज्य..... पिनकोड.....
फोन न० मोबाईल..... ई-मेल पता.....
8. **वर्तमान/पत्राचार का पता:**
ग्राम/मोहल्ला : पो०..... थाना.....
जिला राज्य..... पिनकोड.....
फोन न० मोबाईल..... ई-मेल पता.....
(झारखण्ड राज्य में निवास करने का प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय/जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा)



9. **शैक्षणिक योग्यता:-**

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि.का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
(क)	मैट्रिक				
(ख)	इंटर				
(ग)	स्नातक				
(घ)	स्नातक (प्रतिष्ठा)				
(ङ)	स्नातकोत्तर				
(च)	क्रीड़ा				
(छ)	एन०सी०सी०				

10. क्या आप सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/सांसद/भूतपूर्व सांसद/विधायक/भूतपूर्व विधायक या पूर्व पार्षद के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी है अगर हाँ तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें -
11. क्या आवेदक दिव्यांग है ? अगर हाँ तो जिला असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
(क) दिव्यांगता का प्रकार(ख) दिव्यांगता का प्रतिशत.....
12. शुल्क का विवरण (सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रू० 100/- और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिए रू० 30/- का ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग (RDDE, NC. DIVISION, HAZARIBAG) के पदनाम से निर्गत तथा हजारीबाग में भुगतये हो संलग्न करें।
(क) ड्राफ्ट सं० (ख) बैंक का नाम
(ग) राशि (घ) निर्गत की तिथि
13. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट का नाम जहाँ आवेदक नामांकन कराना चाहते है? (आवेदक वरीयता के अनुसार दो महाविद्यालय का नाम अंकित करें। महिला अभ्यर्थी सिर्फ महिला हेतु चयनित संस्थान महाविद्यालय का नाम अंकित करें। (क).....
(ख).....
14. अनुलग्नक (निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें एवं संबंधित बॉक्स में (हाँ/नही) लिखें।

क.सं.	विवरण	हाँ/नहीं	हाँ/नही
1	मैट्रिक का मूल प्रमाण-पत्र		7
2	मैट्रिक का अंक-पत्र		8
3	इंटर का अंक-पत्र		9
4	स्नातक का अंक-पत्र		10
5	स्नातक (प्रतिष्ठा) का अंक-पत्र		11
6	स्नातकोत्तर का अंक-पत्र		12

15. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि -
(क) आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही व सत्य है। नामांकन के समय या प्रशिक्षण के दौरान कोई भी उक्त अंकित सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा/मेरी उम्मीदवारी रद्द/महाविद्यालय से निष्कासित कर दी जाए तथा मेरे उपर कार्रवाई की जाय।
(ख) मैं अनुशंसित प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय/ डायट में ही नामांकन कराऊँगा/ कराऊँगी। अन्य किसी प्रशिक्षण महाविद्यालय/डायट में स्थानांतरण हेतु दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

स्थान:.....
दिनांक:.....

आवेदक/आवेदिका का पूर्ण हस्ताक्षर

प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय / जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में नामांकन हेतु आवेदन पत्र भरने का नियम एवं शर्त :-

- 1 (क) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या-3158 दिनांक-18.07.2016 के अनुसार झारखण्ड राज्य स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान वाले आवेदन दे सकते हैं।
- (ख)- भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए संस्थानों में प्रवेश हेतु मूल निवासी प्रमाण-पत्र की छूट होगी।
- वैसे अभ्यर्थी जो कश्मीर से आये विस्थापित परिवार का हों तथा जिनके पालकों में से कोई भी झारखण्ड राज्य में शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हों।
 - झारखण्ड के माननीय सांसदों/पूर्व सांसदों/विधायकों/पूर्व विधायकों एवं पूर्व पार्षदों के पुत्र/पुत्रियां हो।
 - विवाहित महिला अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य की हो और इस राज्य में उनका ससुराल हो तो वे अपना आवासीय प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। पति के आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर पत्नी का दावा मान्य नहीं होगा।
 - आवेदन पत्र के साथ आवासीय/जाति प्रमाण-पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुमण्डल पदाधिकारी से निम्न स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय/ जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
2. - नामांकन शुल्क -
- (i) चयनित आवेदको से सरकार द्वारा निर्धारित निम्न शुल्क नामांकन के समय लिये जायेगे-
- (क) सामान्य/पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा कोटि के उम्मीदवारों से रू0 3000/- (तीन हजार रूपए)
- (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के उम्मीदवारों से रू0 1000/- (एक हजार रूपए)
- (ii) शिक्षण शुल्क - नामांकन के पश्चात् महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क निम्न प्रकार लिए जायेगे:-
- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--|
| (क) | शिक्षण शुल्क | - | 200/- प्रतिमाह |
| (ख) | क्रीड़ा शुल्क | - | 100/- प्रतिमाह |
| (ग) | कॉमन रूम शुल्क | - | 100/- प्रतिमाह |
| (घ) | विद्युत प्रभार एवं अन्य शुल्क | - | 100/- प्रतिमाह |
| (ङ) | महाविद्यालय विकास कोष | - | 1000/- (पूरे प्रशिक्षण अवधि में एक बार) |
- (iv) प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् परीक्षा शुल्क- प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् अंतिम परीक्षा हेतु आवेदन-पत्र भरने के समय सामान्य एवं पिछड़ी कोटि के उम्मीदवारों को 1500/- तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति को 500/- देय होगा।

(रतन कुमार सिंह)
क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग